अध्याय-IV
वाहनों पर कर

कार्यकारी सारांश

इस अध्याय में हमने जिन विशिष्टताओं को उद्घटित किया	इस अध्याय में हम परिवहन आयुक्त एवं जिला परिवहन कार्यालयों में मोटर वाहन कर के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान दृष्टिगत अवलोकनों में से चयनित ₹ 36.23 करोड़ के मामलों को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि इस तरह की चूकें पिछले कई वर्षों से लगातार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बतायी गयी है लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012-13 में वाहनों से कर के संग्रहण में विगत वर्ष से 18.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण विभाग द्वारा निबंधित किये गये वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी को बताया गया।
आंतरिक लेखापरीक्षा	विभाग ने हमें सूचित किया कि उसकी अपनी कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है, आंतरिक लेखापरीक्षा वित्त विभाग के लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित किया जा रहा था। विभाग ने वित्त विभाग द्वारा 2012-13 के दौरान संचालित किये गये लेखापरीक्षा का पूर्ण वर्णन प्रस्तुत नहीं किया परन्तु 2008-09 से 2010-11 की अवधि का मात्र एक इकाई में की गयी लेखापरीक्षा की स्थिति को प्रस्तुत किया था।
हमारे द्वारा 2012-13 के दौरान संचालित की गई लेखापरीक्षा का प्रभाव	वर्ष 2012-13 में हमने वाहनों पर कर से संबंधित 27 इकाइयों में से 16 इकाइयों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया और 18,533 मामलों में सन्निहित ₹ 41.96 करोड़ के कर, शुल्क, अर्थदण्ड आदि का नहीं/अल्प वसूली/आरोपण पाया जिसमें विभाग ने 18,165 मामलों में सन्निहित ₹ 39.87 करोड़ के कर के नहीं/अल्प वसूली/आरोपण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें ₹ 39.36 करोड़ सन्निहित 18,046 मामले हमारे द्वारा 2012-13 में एवं 119 मामलों को 2011-12 में बताया गया।
हमारा निष्कर्ष	**परिवहन विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु व्यवस्था करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि प्रणाली की कमियों को दूर किया जा सके और हमारे द्वारा उद्भेदित प्रकृति की चूकों से भविष्य में बचा जा सके।**

अध्याय-IV: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन पर कर का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001) मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 एवं बिहार वित्तीय नियमावली (यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के द्वारा शासित होता है।

शीर्ष स्तर पर, परिवहन विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए परिवहन आयुक्त (प.आ.), झारखण्ड उत्तरदायी है। उनके सहयोग के लिए मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त होते हैं। राज्य को चार क्षेत्रों[1] एवं 22 परिवहन जिलों[2], में बाँटा गया है जिनको राज्य परिवहन प्राधिकारी (रा.प.प्रा.), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (क्षे.प.प्रा.) तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि.प.प.) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मोटर यान निरीक्षकों, प्रवर्तन शाखा और नौ चेक पोस्ट[3] द्वारा उनको सहायता की जाती है।

4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड-I (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों को तैयार करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग में निहित है। तथापि, बजट अनुमानों का आँकड़ा संबंधित प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जाता है जो आँकड़े की सत्यता के लिए उत्तरदायी है। अस्थिर राजस्व के मामले में अनुमान विगत तीन वर्षों में प्राप्त राजस्व की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान पुनरीक्षित बजट अनुमानों के विरूद्ध वाहनों पर कर से वास्तविक प्राप्तियों के साथ इसी अवधि की दौरान कुल कर प्राप्तियाँ निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है:

---

1 दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं राँची।

2 बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ तथा सिमडेगा।

3 बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुण्डा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा) और मुरीसेमर (गढ़वा)।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर आधिक्य (+)/ कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य की वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	400.60	201.57	(-) 199.03	(-) 50	3,753.21	5.37
2009-10	500.00	234.21	(-) 265.79	(-) 53	4,500.12	5.20
2010-11	440.00	312.37	(-) 127.63	(-) 29	5,716.63	5.46
2011-12	356.00	391.92	(+) 35.92	(+) 10.09	6,953.89	5.64
2012-13	550.00	465.36	(-) 84.64	(-) 15.39	8,223.67	5.66

स्रोत: वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के 2013-14 के राजस्व एवं प्राप्तियाँ विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

सिवाय वर्ष 2011-12 के, विभाग ने पुनरीक्षित बजट अनुमान प्राप्त नहीं किया। 2008-09 से 2012-13 की अवधि में पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में कमी 53 और 15.39 प्रतिशत के बीच रहा। बजट की तैयारी के संबंध में हमारे प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि बजट अनुमान वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा तैयार किये गये थे। अग्रेतर, विभाग द्वारा 2012-13 में बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों में कमी का कारण कर्मचारियों की कमी एवं अंतर्राज्यीय स्थायी चेक पोस्ट की स्थापना न होना बताया गया।

वर्ष 2012-13 में वाहनों से कर संग्रहण में विगत वर्ष से 18.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण विभाग द्वारा निबंधित वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी को बताया गया।

4.3 संग्रहण की लागत

2008-09 से 2012-13 के दौरान वाहनों पर कर से सकल संग्रहण, इनके संग्रहण पर किये गये व्यय एवं सकल संग्रहण की ऐसे व्यय की प्रतिशतता नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	पूर्ववर्ती वर्षों का अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008-09	201.57	4.03	2.00	2.58
2009-10	234.21	5.02	2.14	2.93
2010-11	312.37	4.83	1.55	3.07
2011-12	391.92	4.60	1.17	3.71
2012-13	465.36	4.51	0.97	2.96

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता घटते क्रम में थी और इन सभी वर्षों में यह अखिल भारतीय औसत से कम था। हम इस संबंध में विभाग के प्रदर्शन की सराहना करते हैं।

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का कार्यकलाप

विभाग ने हमें बताया कि उनकी अपनी कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है, आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य वित्त विभाग के लेखापरीक्षकों के द्वारा किया जा रहा था। विभाग ने 2012-13 के दौरान वित्त विभाग द्वारा किये गये लेखापरीक्षा की संपूर्ण जानकारी नहीं दी। 2008-09 से 2010-11 अवधि का सिर्फ एक इकाई में की गई लेखापरीक्षा की स्थिति बतायी गयी। तथापि उसपर की गई सुधारात्मक कार्यवाही को हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

सरकार एक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने पर विचार कर सकती है ताकि राजस्व की शीघ्र एवं सही प्राप्ति के लिये अधिनियमों/नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो।

4.5 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को बकाये राजस्व की राशि ₹ 250.70 करोड़ था। वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में बकाये राजस्व की वर्षवार स्थिति निम्न सारणी में चित्रित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	बकाया का अंतशेष
2008-09	174.30	136.52[4]
2009-10	136.52	140.05
2010-11	140.05	117.87
2011-12	117.87	137.31
2012-13	137.31	250.70

स्रोत: परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार।

31 मार्च 2012 की समाप्ति पर बकाये राजस्व ₹ 137.31 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 83 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 113.39 करोड़[5]) दर्ज करते हुए ₹ 250.70 करोड़ हो गया। विभाग ने वर्ष के दौरान बकाये में वृद्धि और निष्पादन के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं किया। बकाया संग्रहण हेतु लक्ष्य के निर्धारण के संबंध में विभाग ने बताया कि इस तरह का कोई लक्ष्य वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था।

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, बकाये भू-राजस्व की तरह वसूली के लिये ₹ 250.70 करोड़ में से ₹ 48.14 करोड़ के माँग का नीलामपत्रवाद दायर किया गया। ₹ 1.41 लाख की वसूली पर उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गई। शेष ₹ 202.55 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी है (दिसम्बर 2013)।

---

[4] विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च 2009 को बकाये अंतशेष का मिलान कर लिया गया है।

[5] वर्षवार पृथक बकाये के आँकड़ों जैसा कि विभाग ने प्रस्तुत किया है 2012-13 के लिए ₹ 20.87 करोड़ बकाये के रूप में दिखाया गया है। विभाग को बकाये के आँकड़ों को मिलान करने की आवश्यकता है।

बकाया के मामलों का त्वरित निष्पादन हेतु सतत अनुश्रवण एवं बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को प्रयुक्त कर भू-राजस्व के बकाये की तरह बकायों की वसूली हेतु विभाग को निर्देश जारी करने हेतु सरकार विचार कर सकती है।

4.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में हमने 27 कंडिकाओं में ₹ 99.64 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कर, शुल्क आदि के नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली के मामलों को बताया था जिसमें विभाग/सरकार ने ₹ 79.43 करोड़ के हमारे अवलोकनों को स्वीकार किया और 2012-13 तक ₹ 98.66 करोड़ की वसूली की सूचना दी। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	आपत्तित राशि	स्वीकार की गई वसूलनीय राशि	कॉलम 4 में से 2012-13 तक की गई वसूली राशि[6]
1	2	3	4	5
2007-08	6	29.80	29.80	33.52
2008-09	6	22.79	2.58	49.15
2009-10	5	12.16	12.16	13.09
2010-11	5	21.41	21.41	2.60
2011-12	5	13.48	13.48	0.30
कुल	**27**	**99.64**	**79.43**	**98.66**

4.6.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने 82 इकाइयों का नमूना जाँच किया और 1,24,389 मामलों में ₹ 177.24 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कर, शुल्क आदि का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली के मामलों को हमारे निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित किया। इनमें विभाग/सरकार ने ₹ 115.32 करोड़ निहित 1,08,159 मामलों में हमारे अवलोकनों को स्वीकार किया एवं 2012-13 तक ₹ 3.48 करोड़ वसूल किया। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

[6] यद्यपि वाहनों पर कर के अंतर्गत 2007-08, 2008-09 एवं 2009-2010 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आपत्तित राशि क्रमश: ₹ 29.80 करोड़, ₹ 22.79 करोड़ एवं ₹ 12.16 करोड़ थी, विभाग/सरकार ने क्रमश: ₹ 33.52 करोड़, ₹ 49.15 करोड़ एवं ₹ 13.09 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्तित राशि		स्वीकार की गई राशि		कॉलम 6 में से 2012-13 तक वसूली गई राशि
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	15	58,554	36.97	58,554	36.97	0.30
2008-09	18	26,574	77.79	21,385	26.81	शून्य
2009-10	13	3,560	20.74	3,557	17.08	शून्य
2010-11	19	6,885	20.55	6,829	20.47	2.31
2011-12	17	28,816	21.19	17,834	13.99	0.87
कुल	**82**	**1,24,389**	**177.24**	**1,08,159**	**115.32**	**3.48**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विरुद्ध विभाग द्वारा स्वीकार की गयी राशि ₹ 115.32 करोड़ के विरूद्ध सिर्फ ₹ 3.48 करोड़ (3.02 प्रतिशत) की वसूली की गई।

चूँकि स्वीकार किये गये मामलों में विभाग द्वारा की गई वसूली बहुत कम है, अत: हम अनुशंसा करते हैं कि इन मामलों में त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के लिये विभाग समुचित कार्रवाई करे।

4.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान 27 इकाइयों में से ₹ 327.35 करोड़ राजस्व संग्रहण करने वाले 16 इकाइयों का वाहनों पर कर से संबंधित अभिलेखों का हमारे द्वारा नमूना जाँच से कर का अनारोपण/अल्पारोपण, बैठान क्षमता/पंजीकृत लदान भार के गलत निर्धारण के कारण करों का कम आरोपण, निबंधन प्रमाणपत्र का स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किया जाना, फीस, जुर्माना एवं अर्थदण्ड आदि का अधिरोपण नहीं किये जाने के 18,533 मामलों में ₹ 41.96 करोड़ सन्निहित राशि का पता चला जैसा नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्गीकरण	मामलों की संख्या	राशि
1	करों का अनारोपण/अल्पारोपण	4,537	14.64
2	बैठान क्षमता/निबंधन लदान भार के गलत निर्धारण के कारण करों का अल्पारोपण	75	0.08
3	निबंधन प्रमाणपत्र का स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किया जाना	8,928	0.18
4	शुल्क, जुर्माना एवं अर्थदण्ड का अधिरोपण नहीं किया जाना	3	0.13
5	अन्य मामले	4,990	26.93
कुल		**18,533**	**41.96**

वर्ष के दौरान विभाग ने 18,165 मामलों में सन्निहित ₹ 39.87 करोड़ के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदण्ड, जुर्माना इत्यादि में अनारोपण/अल्पारोपण को स्वीकार किया जिसमें ₹ 39.36 करोड़ के 18,046 मामलों को हमारे द्वारा 2012-13 में एवं

119 मामले 2011-12 में बताया गया। विभाग ने 893 मामलों में ₹ 2.26 करोड़ की वसूली की।

इस अध्याय में हम ₹ 36.23 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कुछ मामले दृष्टांतस्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

4.7 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अपालन/अनुपालन नहीं होना

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 मोटर वाहन अधिनियम, 1988, बिहार वित्तीय नियमावली (यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) और उसके अधीन बनाये गये नियम:

(i) वाहन स्वामियों द्वारा विनिर्दिष्ट दर से मोटर वाहन कर का भुगतान;
(ii) संग्रहित राजस्व को सरकारी खातों में ससमय जमा करना;
(iii) विनिर्दिष्ट दर से पंजीयन शुल्क का भुगतान;
(iv) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्राधिकार निर्गत एवं नवीकरण और
(v) चालक अनुज्ञप्ति निर्गत एवं नवीकरण करने का प्रावधान करती है।

हमने पाया कि परिवहन विभाग ने अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित मामलों में अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

4.8 वाहनों पर कर का संग्रहण नहीं होना

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा, 5 एवं 9 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत वाहन स्वामी (वैयक्तिक वाहनों के अतिरिक्त) उस करारोपण पदाधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन पंजीकृत है, को अवधि जिसके लिए कर का भुगतान कर दिया गया था की समाप्ति की तिथि के पश्चात कर भुगतान करने का उत्तरदायी है। निवास/व्यवसाय में परिवर्तन के मामलों में, वाहन स्वामी नये पंजीकरण प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है बशर्ते कि पूर्ववर्ती करारोपण पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। निर्धारित अवधि में कर का भुगतान नहीं करने के मामले में करारोपण प्राधिकारी निर्धारित दर से अर्थदण्ड लगा सकते हैं। यदि भुगतान में विलंब 90 दिनों से अधिक है, तो देय करों की राशि का दुगुना अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। अग्रेतर, नियमावली प्रावधान करता है कि प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को माँग, वसूली और बकाया (मा.व.ब.) पंजी संधारित करना है जिसे नियमित और ससमय करों के उद्ग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च में अद्यतन किया जाएगा। प्रमादियों के विरूद्ध जिला परिवहन पदाधिकारियों को माँग पत्र निर्गत करना अपेक्षित है।

4.8.1 16 जिला परिवहन कार्यालयों[7] में अप्रैल 2012 और फरवरी 2013 के बीच करारोपण पंजी, मां.व.ब. पंजी, अभ्यर्पण पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच में हमने देखा कि जुलाई 2009 एवं फरवरी 2013 के मध्य 35,397 वाहन में से 2,103 वाहनों के स्वामियों ने कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामले में वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या करों के भुगतान में

[7] बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, राँची, साहेबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

छूट हेतु दस्तावेजों का अभ्यर्पण अभिलेखों में नहीं पाया गया। इस तरह वे कर भुगतान हेतु उत्तरदायी थे। अग्रेतर, जि.प.प. की माँ.व.ब. पंजी को समय-समय पर अद्यतन किये जाने में असफलता के कारण उनके पास प्रमादी वाहन स्वामियों की संख्या एवं उनसे वसूल किये जाने वाले करों का ब्योरा नहीं था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने प्रमादी वाहन स्वामियों के विरूद्ध कर एवं अर्थदण्ड हेतु माँग सृजित नहीं किया इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.04 करोड़ अर्थण्ड सहित ₹ 16.55 करोड़[8] का कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने के बाद (अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के बीच) सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि 13 जि.प.प.[9] के मामलों में ₹ 12.38 करोड़ सन्निहित 1,612 मामले में माँग पत्र निर्गत किये गये थे जिनमें तीन जि.प.प.[10] ने संबंधित 350 मामलों में सन्निहित ₹ 2.38 करोड़ का नीलामपत्रवाद दायर किया और नौ जि.प.प.[11] द्वारा 78 मामलों में सन्निहित ₹ 54.44 लाख की वसूली की गयी। तीन जि.प.प.[12] के संबंध में सरकार ने सन्निहित राशि को वसूल करने के लिये निर्देश जारी किये। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

4.8.2 अप्रैल 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य 15 जिला परिवहन कार्यालयों[13] में करारोपण पंजी और कम्प्यूटरीकृत आँकड़े की नमूना जाँच में हमने देखा कि मई 2009 एवं फरवरी 2013 के बीच के अवधि हेतु नमूना जाँच किये गये 12,109 ट्रेलरों में से 2,101 ट्रेलरों के स्वामियों ने पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया। जि.प.प. की माँ.व.ब. पंजी को अद्यतन करने की विफलता के कारण उनके पास प्रमादी वाहन स्वामियों की संख्या एवं उनसे वसूल किये जाने वाले करों का ब्योरा नहीं था। प्रमादियों पर माँग सृजित करने में विभाग विफल रहा। अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों को लागू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.42 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

---

8 **मालवाहक वाहन**: आरोप्य पथ कर (प.क.) ₹ 1,662.50 प्रति वर्ष और 8000 कि.ग्रा. पंजीकृत लदान क्षमता से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि.ग्रा. या उसके भाग पर ₹ 136.50 है। अतिरिक्त पथ कर ₹ 310 प्रति वर्ष 500 कि.ग्रा. तक और 500 कि.ग्रा. पंजीकृत लदान क्षमता से अधिक प्रत्येक 500 कि.ग्रा. या उसके भाग पर ₹ 232.50 आरोप्य।

यात्री वाहन: पथ कर 33 व्यक्तियों के बैठान क्षमता के लिये ₹ 3,485 और 33 व्यक्तियों से अधिक पर प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए ₹ 53 प्रति वर्ष। अतिरिक्त पथ कर ₹ 416 प्रति वर्ष जिसमें बैठान क्षमता 32 व्यक्तियों से अधिक है।

9 बोकारो, चाईबासा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, राँची, साहेबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

10 चाईबासा, दुमका और राँची।

11 बोकारो, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, कोडरमा, राँची, साहेबगंज, और सरायकेला-खरसावाँ।

12 देवघर, हजारीबाग और जामताड़ा।

13 बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, राँची और साहेबगंज।

हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद (अप्रैल 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि 13 जि.प.प.[14] के मामले में 1,886 मामलों में सन्निहित ₹ 2.20 करोड़ का माँग पत्र निर्गत किया गया था जिनमें तीन जि.प.प.[15] से संबंधित 327 मामलों में सन्निहित ₹ 35.89 लाख का नीलाम पत्रवाद दायर किया गया और आठ जि.प.प.[16] द्वारा 58 मामलों में सन्निहित ₹ 7.48 लाख की वसूली की गई। दो जि.प.प. देवघर और जामताड़ा के संबंध में सरकार ने सन्निहित राशि को वसूल करने के लिये निर्देश जारी किया। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2013)।

सदृश मुद्दा 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका सं. 4.9 में बताया गया था, सरकार/विभाग ने हमारी अवलोकन को स्वीकार किया और बताया कि ₹ 10.12 करोड़ सन्निहित 2,422 मामलों में माँग सृजित की गई थी एवं ₹ 36.24 लाख सन्निहित 133 मामलों में वसूली की गई थी। तथापि, चूकों की प्रकृति/अनियमितताएँ अभी भी विद्यमान है, जो राजस्व क्षरण के आवर्तन के रोकथाम में विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

हम अनुशंसा करते है कि माँग, वसूली और बकाया पंजी को समय-समय पर अद्यतन करने के संबंध में निर्धारित नियमों के बाध्यकारी पालन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

---

14 बोकारो, चाईबासा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, राँची और साहेबगंज।

15 चाईबासा, दुमका और राँची।

16 बोकारो, चाईबासा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर, राँची और साहेबगंज।

4.9 वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं होना

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2(जी) के प्रावधान के अंतर्गत मोटर कार ओमनी बस या स्टेशन वैगन जिनकी बैठान क्षमता चालक सहित चार से अधिक किन्तु दस से अधिक न हो, जो सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है, वैयक्तिक वाहन की श्रेणी में लाया गया। एकमुश्त कर की संशोधित दर वाहन के मूल्य बैठान क्षमता एवं वाहनों की आयु के आधार पर अधिनियम के प्रतिस्थापित अनुसूची एक के माँग 'ए' के अनुसार आरोप्य था। तदन्तर, अधिनियम की धारा 7(1) में प्रावधान है कि एक मुश्त कर के विलंब से भुगतान करने पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा। संशोधन के पूर्व (22 मई 2011 तक) झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 7(3) के अंतर्गत कर वार्षिक दर से आरोप्य था एवं कर के नहीं/विलंब से भुगतान करने पर अर्थदण्ड भी आरोप्य था। अग्रेतर, नियम प्रावधान करता है कि प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को माँग, वसूली एवं बकाया पंजी का संधारण करना है जिसे प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च में अद्यतन करना है ताकि नियमित और ससमय करों के उद्ग्रहण पर नियंत्रण रखा जा सके।

15 जिला परिवहन कार्यालयों[17] में मई 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य करारोपण पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़े की नमूना जाँच में हमने देखा कि 27,247 वाहनों में 3,495 निजी वाहनों जिसकी बैठान क्षमता छः से 10 थी, जिसकी कर वैधता जून 2008 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य समाप्त हो गयी थी पर ₹ 1.65 करोड़ ब्याज सहित ₹ 8.13 करोड़[18] पथ कर एवं एकमुश्त कर का आरोपण विभाग द्वारा नहीं किया गया क्योंकि जि.प.प. ने मा.व.ब. पंजियों का समय-समय पर समीक्षा नहीं किया। इसके अलावा, 22 मई 2011 तक ₹ 9.59 लाख का अर्थदण्ड सहित ₹ 14.38 लाख का कर भी आरोप्य था।

हमारे द्वारा मामलों को बताये जाने के बाद (मई 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि 13 जि.प.प.[19] के मामलों में 3,125

---

17 बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, राँची, साहेबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

18 **एकमुश्त कर**: वैयक्तिक वाहनों के लिए निबंधन के समय ₹ 900 या वाहन के लागत का 3 प्रतिशत, ₹ 20,000 या वाहन के लागत का 4 प्रतिशत तथा ₹ 25,000 या वाहन के लागत का 5 प्रतिशत में जो अधिक होगा के साथ क्रमशः 3 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं, 5 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 8 व्यक्तियों से अधिक नहीं तथा 8 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 10 व्यक्तियों से अधिक नहीं के बैठान क्षमता पर एवं वैसे मामलों में जहाँ वाहन पहले से ही पंजीकृत है एकमुश्त कर वाहन की आयु को निश्चित करते हुए प्रतिशतता के आधार पर भुगतेय होगा।

19 बोकारो, चाईबासा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, पाकुड़, राँची, साहेबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

मामलों में ₹ 7.62 करोड़ की माँग पत्र निर्गत किये गये थे जिसमें चार जि.प.प.[20] के 209 मामलों में सन्निहित ₹ 37.91 लाख के लिए नीलामपत्रवाद दायर किया गया था एवं 11 जि.प.प.[21] द्वारा 754 मामलों में सन्निहित ₹ 1.64 करोड़ की वसूली की गयी थी। दो जि.प.प. देवघर एवं जामताड़ा के संबंध में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार ने निर्देश जारी किया था (दिसम्बर 2013)।

4.10 बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को विलम्ब से जमा करने के कारण ब्याज की वसूली न होना

बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के नियम 37 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी बकाये के रूप में प्राप्त सभी राशियों को सरकारी लेखे में जमा करनी चाहिए। राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के अनुदेशों (जनवरी 2001) के अनुसार अप्रैल से फरवरी के दौरान बैंक द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) डोरण्डा शाखा, राँची में इस प्रकार अंतरित करना चाहिए कि एक निश्चित माह की सभी प्राप्तियाँ अनुवर्त्ती माह के प्रथम सप्ताह तक अंतरित हो जाय। मार्च महीने में जमा की गई राशि 31 मार्च तक निश्चित रूप से अंतरित करनी है ताकि वित्तीय वर्ष में जमा सभी राशियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखे में अंतरित हो जाय। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार एक लाख रूपये से अधिक शेष पर बैंकों द्वारा सरकारी लेखें में विलंबित प्रेषण करने पर समय-समय पर अधिसूचित दर से दाण्डिक ब्याज भुगतेय है।

हमने जुलाई 2012 एवं फरवरी 2013 के बीच राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय झारखण्ड एवं सात परिवहन कार्यालय[22] में संग्रहित राजस्व अंतरणों की बैंक विवरणियों के नमूना जाँच में देखा कि संग्राहक बैंक यथा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए ₹ 1,122.60 करोड़ की राशि को सरकारी खाते में क्रेडिट हेतु भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा शाखा, में निर्धारित समय के अंदर जमा नहीं किया। विलंब की अवधि एक से 11 महीने के बीच थी। संग्राहक बैंकों ने सरकारी राजस्व को एस.बी.आई., डोरण्डा राँची में विलंबित अंतरण हेतु ₹ 7.60 करोड़[23] का ब्याज जमा नहीं किया। यह इंगित किया कि विभाग ने संग्राहक बैंकों के साथ ब्याज भुगतान के लिए मामले का प्रभावकारी अनुसरण एवं अनुश्रवण नहीं किया।

---

20 चाईबासा, दुमका, राँची और सरायकेला-खरसावाँ।

21 बोकारो, चाईबासा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर, कोडरमा, राँची, साहेबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

22 बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा और साहेबगंज।

23 फरवरी 2012 तक दाण्डिक ब्याज की गणना 8 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं उसके बाद 11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया गया है।

हमारे द्वारा (जुलाई 2012 एवं फरवरी 2013 के दौरान) मामला उठाये जाने पर सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि सभी सात जि.प.प. ने संबंधित बैंकों को संग्रहित राजस्व के ससमय अंतरण करने एवं दंडात्मक ब्याज जमा करने हेतु निर्देश जारी किया था। रा.प.आ. के मामले में यह बताया गया कि बैंक ड्राफ्ट के आशोधन में लिये गये समय के कारण विलंब हुआ। उत्तर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

इसी प्रकार का मामला 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 4.12 में बताया गया। सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2012) कि जि.प.प. बोकारो एवं धनबाद ने संबंधित बैंकों को संग्रहित राजस्व को ससमय अंतरण करने एवं दण्डात्मक ब्याज जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये थे। तथापि, विभाग संग्रहित राजस्व के सरकारी खाते में ससमय अंतरण को सुनिश्चित नहीं कर पाया है एवं मामला अभी भी जारी है।

4.11 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्राधिकार का नवीकरण नहीं होना

मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 की धारा 81 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन (के.मो.वा.) नियमावली, 1989 के नियम 87 के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न एक परमिट पाँच वर्षों के लिये प्रभावी होगा एवं प्राधिकार की वैधता की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। वाहन मालिकों को ₹ 500 के प्राधिकरणपत्र फीस के साथ समेकित फीस बैंक ड्राफ्ट के रूप में उन राज्यों को प्रेषण हेतु जहाँ वाहन चलाने की इच्छा है, को अग्रिम भुगतान कर देना था। यह प्राधिकरण एक सतत प्रक्रिया है जब तक कि अनुज्ञापत्र कालातीत न हो या परमिट धारक द्वारा इसे अभ्यर्पित न कर दिया जाय। तदन्तर, केन्द्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली 8 मई 2010 से प्रभावी किया गया जिसमें गृह राज्य प्राधिकरण शुल्क के तौर पर ₹ 1000 एवं ₹ 15,000 समेकित शुल्क प्रति वाहन प्रति वर्ष का अधिरोपण राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारक को सारे देश में संचालन के लिए प्राधिकृत करता है।

परिवहन आयुक्त झारखण्ड के कार्यालय में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी की नमूना जाँच में (जुलाई 2012) में हमने पाया कि 33,589 वाहनों में से 290 वाहनों के मामलों में अक्टूबर 2009 एवं मार्च 2013 के मध्य राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अनुवर्ती अनुज्ञप्ति को वैधता अवधि के दौरान नवीकृत नहीं किया गया। हमने यह भी देखा कि परिवहन आयुक्त के कार्यालय में अनुज्ञापत्रों के प्रचलन के दौरान अनुवर्ती प्राधिकरण के अनुश्रवण हेतु तंत्र का अभाव था।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 76.10 लाख[24] के मिश्रित समेकित फीस एवं प्राधिकरण फीस की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने के बाद (जुलाई 2012), सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि वाहनों मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2013)।

इसी प्रकार का मामला 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 4.12 में बताया गया जहाँ विभाग ने हमारे आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि प्रमादियों के विरूद्ध माँग पत्र जारी किया जायेगा। तदन्तर इस संबंध में की गई कार्रवाई अब तक अप्राप्त है (दिसम्बर 2013)।

4.12 वाहनों के स्वामित्व लेने की तिथि से कर का आरोपण नहीं होना

झा.मो.वा.क. नियमावली, के नियम 4(1) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे मामलों में जहाँ पूर्व में कर का भुगतान नहीं किया गया हो, वहाँ वाहन की प्राप्ति की तिथि या वो तिथि जब ऐसा कर विधि द्वारा आरोपित हो कर भुगतान की नियत तिथि होगी। अग्रेतर, के.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 42 एवं 47 प्रावधान करता है कि व्यापार प्रमाणपत्र का कोई भी धारक क्रेता को बिना स्थायी या अस्थायी निबंधन के मोटर वाहन की सुपुर्दगी नहीं करेगा एवं वाहन के सुपुर्द करने से सात दिनों के अंदर निबंधन हेतु आवेदन करना है। समय पर करों का भुगतान नहीं कराने पर विलंब की अवधि के अनुसार नियत दर पर दंड को आकृष्ट करता है, जो देय कर के 25 से 200 प्रतिशत के बीच है।

हमने अगस्त 2012 से फरवरी 2013 के बीच पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[25] के करारोपण पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों की नमूना जाँच में पाया कि 311 वाहनों में से 163 वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों के निबंधन के लिये 36 से 811 दिनों के बीच विलंब से आवेदन किया। निबंधन करने वाले प्राधिकारी ने वाहन के स्वामित्व लेने की तिथि या वाहनों के अस्थायी निबंधन की समाप्ति तिथि के बदले निबंधन की तिथि से कर आरोपित किया। हमने पाया कि लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) तक न तो वाहन स्वामियों ने करों का भुगतान किया और न ही निबंधन प्राधिकारी ने प्रमादी वाहनों पर अधिकार में लेने

[24] (राशि ₹ में)

अनुज्ञा पत्र की संख्या	प्राधिकरण फीस	समेकित फीस	कुल
290	4,25,500	71,84,500	76,10,000

[25] बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरीडीह और हजारीबाग।

की तिथि से उनके निबंधन की तिथि के बीच की अवधि हेतु कर एवं अर्थदण्ड का आरोपित किया। इस प्रकार, नियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 27.22 लाख अर्थदण्ड सहित ₹ 40.83 लाख[26] की राशि के राजस्व का आरोपण नहीं हुआ। चूंकि 635 एवं 1,393 दिनों के बीच देर के बावजूद कर का भुगतान नहीं हुआ था, वाहन स्वामी 200 प्रतिशत के दर से अधिकतम अर्थदण्ड एवं कर के भुगतान के उत्तरदायी थे।

मामले को हमारे बताये जाने के बाद (अगस्त 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि जि.प.प., बोकारो एवं धनबाद के मामले 77 मामलों में ₹ 24.55 लाख सन्निहित पर माँग पत्र निर्गत किये गये थे। अन्य जि.प.प. के संबंध में सन्निहित राशि की वसूली के लिए सरकार ने निर्देश जारी किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2013)।

इसी प्रकार का मामला 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के कंडिका 4.8 में बताया गया था। विभाग ने अपने विभागीय टिप्पणी में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि सभी 13 मामलों में सन्निहित ₹ 5.50 लाख में माँग पत्र निर्गत किये गये थे। इस प्रकार, विभाग के आश्वासन के बावजूद अनियमिताएँ अभी भी मौजूद हैं।

[26]

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जि.प.प. का नाम	वाहनों की संख्या	कर	अर्थदण्ड	कुल
1	बोकारो	53	5,93,764	11,87,528	17,81,292
2	देवघर	19	2,16,893	4,33,786	6,50,679
3	धनबाद	24	2,24,406	4,48,812	6,73,218
4	गिरिडीह	18	61,911	1,23,822	1,85,733
5	हजारीबाग	49	2,63,951	5,27,902	7,91,853
कुल		**163**	**13,60,925**	**27,21,850**	**40,82,775**

4.13 व्यापार कर का उद्ग्रहण नहीं होना

झा.मो.वा.क. अधिनियम, की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्माता/व्यवसायी द्वारा उसके व्यवसाय के क्रम में अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर अनुसूची-।।। में विनिर्दिष्ट वार्षिक दर से व्यापार कर का भुगतान किया जायेगा। व्यापार कर (वाहन के प्रकार पर आधारित) सात वाहनों के एक ब्लॉक पर भुगतेय है जिसके लिए विनिर्माता/व्यवसायी द्वारा प्रपत्र बी-2 में विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। करारोपण पदाधिकारी व्यापार कर की राशि सत्यापित करने के उपरान्त व्यापार प्रमाणपत्र का नवीकरण करते है। नियत समय में कर का भुगतान नहीं करने पर करारोपण पदाधिकारी निर्धारित दर से अर्थदण्ड आरोपित कर सकते हैं। यदि भुगतान में विलंब 90 दिनों से अधिक हो, तो बकाये कर की राशि का दुगुना अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

हमने अप्रैल 2012 और फरवरी 2013 के मध्य पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[27] के व्यापार कर पंजी तथा संचिकाओं के नमूना जाँच के क्रम में पाया कि 220 मोटर वाहन व्यवसायियों में से 18 व्यवसायी 2009-10 एवं 2011-12 के बीच की अवधि के लिये ₹ 15.57 लाख का अर्थदण्ड सहित व्यापार कर भुगतान करने के उत्तरदायी थे। तथापि, न तो व्यवसायियों ने कोई विवरणियाँ दाखिल की और न ही विभाग द्वारा विवरणियाँ प्राप्त करने एवं बकाया राशियों की वसूली के लिये कोई कार्रवाई की गई। इस प्रकार बी-2 विवरणी को जमा करने की आवधिकता निर्धारित नहीं किये जाने एवं व्यापार कर पंजी के समय समय पर जाँच नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 10.38 लाख के अधिकतम अर्थदण्ड सहित ₹ 15.57 लाख[28] के व्यापार कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

---

27 देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, पलामू और राँची।

28

(₹ में)

जिला	वाहन के प्रकार	व्यवसायियों की संख्या	वाहनों की संख्या	प्रति सात वाहनों का ब्लॉक	दर प्रति सात वाहनों	व्यापार कर की राशि	अर्थदण्ड	कुल	वसूल की गई राशि	नहीं वसूल की गई राशि
देवघर	दो पहिया	5	574	84	400	33,600	67,200	1,00,800	0	1,00,800
	एल.एम.भी.	5	951	138	500	69,000	1,38,000	2,07,000	0	2,07,000
गिरिडीह	दो पहिया	2	2,693	386	400	1,54,400	3,08,800	4,63,200	0	4,63,200
कोडरमा	दो पहिया	1	58	9	400	3,600	7,200	10,800	0	10,800
पलामू	दो पहिया	2	4,160	595	400	2,38,000	4,76,000	7,14,000	0	7,14,000
	एल.एम.भी	1	103	15	500	7,500	15,000	22,500	0	22,500
राँची	एल.एम.भी	2	175	26	500	13,000	26,000	39,000	0	39,000
कुल		**18**	**8,714**			**5,19,100**	**10,38,200**	**15,57,300**	**0**	**15,57,300**

(व्यक्तिगत व्यवसायियों का प्रति सात वाहनों के ब्लॉक पर संगणित)

हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद (अप्रैल 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) पर सरकार ने कहा (जुलाई 2013) तीन जि.प.प.[29] के पाँच व्यवसायियों के मामले में ₹ 5.13 लाख सन्निहित के लिए माँग पत्र निर्गत किये गये थे जिसमें जि.प.प. राँची से संबंधित ₹ 24,000 के एक मामले में नीलामपत्रवाद दायर किया गया एवं तीन जि.प.प.[30] द्वारा तीन मामलों में सन्निहित ₹ 51,800 की वसूली की गयी थी। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2013)।

इसी प्रकार का मामला 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका 4.10.1 में बताया गया, सरकार/विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा 25 व्यवसायियों के विरूद्ध माँग सृजित की गयी थी एवं चार व्यवसायियों से ₹ 1.14 लाख की वसूली की गयी। कमियों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी मौजूद है, यह राजस्व रिसाव के आवर्तन को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

हम अनुशंसा करते है कि सरकारी राजस्व की ससमय वसूली हेतु प्रपत्र बी-2 में विवरणी जमा करने के लिये आवधिकता निर्धारित करने पर सरकार विचार कर सकती है।

---

29 गिरिडीह, कोडरमा और राँची।

30 गिरिडीह, कोडरमा एवं राँची।

4.14 निबंधन प्रमाणपत्र का स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किया जाना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 48 एवं 81 के प्रावधानों के अन्तर्गत, निबंधन पदाधिकारी वाहन के स्वामी को प्रपत्र 23 या 23 ए (स्मार्ट कार्ड) में निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत करेगा। अग्रेतर, नियम 81 प्रावधान करता है कि मई 2002 से प्रभावी दो सौ रूपये की अतिरिक्त फीस की राशि निबंधन प्रमाणपत्र को स्मार्ट कार्ड में निर्गत करने के लिए प्रभारित होगा। झारखण्ड सरकार ने मेसर्स ए.के.एस. स्मार्ट कार्ड लिमिटेड के साथ सितम्बर 2004 में एक करार पर हस्ताक्षर किया और फर्म को स्मार्ट कार्ड में वाहन निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए ₹ 99 के सेवा शुल्क की वसूली के लिए अनुमति दी। स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लाईसेंस एवं निबंधन प्रमाणपत्र जारी करने की शुरूआत मोटर वाहनों के संबंध में नकली एवं जाली कागजातों के उपयोग को रोकने के लिए किया गया। दिसम्बर 2004 में आगे स्पष्ट किया गया कि उक्त सेवा शुल्क इन नियमों के अंतर्गत आरोप्य शुल्क के अतिरिक्त होगा। अग्रेतर, निबंधन प्रमाणपत्र को स्मार्ट कार्ड में (प्रपत्र 23 ए) निर्गत करने के लिये वाहन पैकेज से आँकड़ा वेण्डर को संचरण किया जा रहा था।

हमने जून 2012 एवं अगस्त 2012 के मध्य जिला परिवहन कार्यालयों जामताड़ा और पाकुड़ के 2010-11 एवं 2011-12 की अवधि के निबंधन पंजी की नमूना जाँच में पाया कि 8,928 निबंधन प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किये गये यद्यपि वाहन पैकेज कार्यालय में अधिष्ठापित था। अग्रेतर, यह देखा गया कि करार की शर्त्तों के अनुसार पाकुड़ जिले में स्मार्ट कार्ड के निर्गमन हेतु हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अधिष्ठापन करार की तिथि से 16 सप्ताह के अन्दर में पूरा किया जाना था (सितम्बर 2004)। सरकार ने जामताड़ा जिला के लिए कोई करार नहीं किया था। स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र के निर्गमन के अभाव में मोटर वाहनों के संबंध में नकली एवं जाली कागजातों के उपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सरकार की ओर से योजना के कार्यान्वयन में विलंब योजना के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त नहीं करने का कारक बना।

हमारे द्वारा मामलों को बताये जाने के बाद (जून 2012 एवं अगस्त 2012 के मध्य) सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि निबंधन प्रमाणपत्रों को स्मार्ट कार्ड में निर्गत किये जाने का मामला प्रक्रियाधीन था। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2013)।

4.15 बैठान क्षमता के गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7(3) के प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन वाहन स्वामियों द्वारा व्हील बेस के आधार पर निर्धारित बैठान क्षमता पर करों का भुगतान करना है। यह प्रावधान 23 मई 2011 से प्रभावी था। अग्रेतर, अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि प्रत्येक परिवहन वाहन स्वामियों को पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान उसमें उल्लिखित दरों से करना अपेक्षित है।

हमने फरवरी 2013 में जिला परिवहन कार्यालय देवघर एवं हजारीबाग के निबंधन/कर पंजी के साथ कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच में पाया कि नमूना जाँच किये गये 247 परिवहन वाहनों में से 99 वाहन ने मई 2011 से 2012-13 की अवधि हेतु करों का भुगतान उनके व्हील बेस के अनुसार बैठान क्षमता से कम बैठान क्षमता अपनाकर किया। इसने दर्शाया कि जि.प.प. ने परिवहन वाहनों से कर वसूली के दौरान अधिनियम के नये प्रावधान को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.87 लाख की राशि के करों की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने के बाद (फरवरी 2013) सरकार ने कहा कि (जुलाई 2013) कि संबंधित जि.प.प. को सन्निहित राशि की वसूली के लिए निर्देश जारी किये गये थे। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2013)।